न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 86 / 2021

प्रार्थीगणः—

1. दरगाराम पुत्र श्री चतुराराम जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
2. दीपसिंह पुत्र श्री चतुराराम जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
3. सकु पत्नी श्री चतुराराम जाति पुरोहित निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. थानसिंह पुत्र श्री विरदसिंह जाति राजपूत निवासी कुण्डल
3. वगदावरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
4. जबरसिंह पुत्र श्री सांवलाराम जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
5. जोगसिंह पुत्र श्री सांवलाराम जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
6. भंवरसिंह पुत्र श्री सांवलाराम जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
7. लालाराम पुत्र श्री प्रभूजी जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
8. शैतानसिंह पुत्र श्री सांवलाराम जाति पुरोहित निवासी कुण्डल
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक :—21.03.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:24:19 IST
Reason: Self Attested

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बह[illegible] सुनी [illegible]ं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तु[illegible] चौसल[illegible]धार सवत् 2071 —2074 सरहद मौजा सरीयादेवीनगर प[illegible] तहसील सिवाना [illegible] खसरा नम्बर 415 रकबा 4.9048 हैक्टयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

...द की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 415 रकबा 4.9048 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:24:19 IST
Reason: SelfAttested